न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगबास जिला (अलवर)

अध्याशितः— श्री ओमप्रकाश सहारण आर0ए0एस

दावा सं0	दायर दिनांक	निर्णय
334/2012	26.6.12	20.4.22

उनवान

1. सुन्दर सिंह पुत्र श्री खुशीराम जाति गूर्जर उम्र करीब 37 साल निवासी कांकरा तहसील किशनगढबास जिला अलवर ।

:—वादी

बनाम

1. भवानी मृतक
1/1. मन्तरा बेवा
1/2. सुबेसिंह पुत्र
1/3. कृ ाणा पुत्र
1/4. राजेश पुत्र
1/5. संजय उर्फ हब्बु पुत्र भवानी जाति अहीर निवासी किशनगढबास जिला अलवर।
2. रघुवीर
3. मदन पि0 लक्ष्मीनारायण
4. रोहिताश
5. धनीराम पुत्रान जग्गू
6. घमण्डी
7. निहाल पुत्रान छुटटन
8. लालसिंह पुत्र सोहन
9. भगवान मृतक
9/1. शान्ति देवी बेवा
9/2. तुलाराम
9/3. शीशराम
9/4. दाताराम
9/5. रामपाल पि0 श्री भगवान
9/6. रामकंला
9/7. आमवति
9/8. रेशमी पुत्रीयान श्री भगवान जाति अहीर निवासी किशनगढबास
10. लहरी मृतक
10/1.सत्यवान पुत्र लहरी
10/2.कोमल पुत्री लहरी

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

10/3. पप्पी पुत्री लहरी
10/4. सुनीता पुत्री श्री लहरी जाति अहीर निवासी किशनगढबास
11. बनवारी
12. राजाराम
13. रामसिंह
14. कैलाश पि0 छोटेलाल जाति अहीर निवासी किशनगढबास
15. लैण्ड होल्डर, तहसीलदार, किशनगढबास

:—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 89 आर0टी0 एक्ट0

उपस्थितः— वकील श्री धीरसिह वादीगण की ओर से
प्रतिवादीगण की एक पक्षीय कार्यवाही

निर्णय

दावे के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है।

वकील वादी ने वाद पेश कर निवेदन किया है कि आराजी ख0 नं0 260 रकबा 0.5000 हे0 सालिम यानि 2—00 बीघा, 259 रकबा 0.5100हे0 यानि 2—00 बीघा वाके ग्राम कांकरा तहसील किशनगढबास जिला अलवर में स्थित है। जिसमें ख0 नं0 260 रकबा 2—00बीघा एवं ख0 नं0 259 रकबा 2—00 बीघा में से 1/2 भाग यानि 1—00 एक बीघाी स्थित ग्राम कांकरा तहसील किशनगढबास मौजूदा वाद में विवादित आरजी कहलावेगी। मिन वादी आराजी मुतनाजा ख0 नं0 260 रकबा 2 बीघा व ख0नं0 259 रकबा 2 बीघा में से एक बीघा का काबिज काश्त खातेदार है वादी के कब्जा काश्त खातेदारी का अमल राजस्व रिकार्ड 2069 में हो रहा है। जमाबन्दी हाल लफे हाजा पेश है।

अर्जी दावा वादी के पैरा नं0 1 में ख0नं0 260 रकबा 2 बीघा सालिम व ख0नं0 259 रकबा 2 बीघा में से एक बीघा आराजी कुल 3 बीघा आराजी वादी के कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है। वादी ने उक्त आराजी को जरिये इकरारनामा बय दिनांक 27.9.07 को गोमाबाई बेवा व बस्सूमल पि0 बासोमल खत्री सा0 किशनगढबास खरीद किया तथा इकरारनामा की पालना नही करने पर वादी ने एक वाद संख्या 47/08 न्यायालय अपर जिला एवं सेशन जज महोदय किशनगढबास में दायर किया था जिसमें बरूवे राजीनामा दि0 24—2—11 को निर्णय पारित किया गया कि वादी बकाया राशि शर्त अदा कर 2 माह में गोमाबाई वगैरा से रजिस्ट्री बयनामा पंजियन करालेगा और इसी आदेश की पालना में वादी ने बकाया राशि अदा कर बयनामा क्रमांक 2011000883 दिनांक 13.4.11 को कार्यालय उप पंजियक किशनगढबास जिला अलवर में अदालत श्रीमान के आदेश की पालना में अपने नाम विधिवत पंजियन कराया । जिस निर्णय व पर्चा डिग्री की सत्यप्रति व इकरारनामा व बयनामा की छायाप्रति संलग्न है। बाद बयनामा नामान्तरकरण संख्या 741 राजस्व रिकोर्ड में बतौर खातेदार दर्ज व मजूंर कराया है तथा मौके पर काबिज व दाखिल चला आ रहा है। आराजी की दरो करता व फसल पैदावार का लाभ लेता आ रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

मिन वादी ने हल्का पटवारी से हाल ही में फववारा सैट के लिये जमाबन्दी की नकल दिनांक 3.4.12 को प्राप्त की तो सर्व प्रथम जानकारी हुई की जमाबन्दीयात में प्रतिवादीगण नं0 1 ल0 14 के पितागण का बतौर उप कृ   ाक इन्द्राज हो रहा है। जिस गलत इन्द्राज दूरूस्ती को करने के लिये प्रतिवादीगण को निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने इन्द्राज दूरूस्ती करने से साफ मना कर दिया , लिहाजा दावा बाबत इन्द्राज दूरूस्ती करना लाजिम आया है।

1– यह है कि आराजी 260 व 259 वाके ग्राम कांकरा तहसील किशनगढबास के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी से बकाश्त उप कृ   ाक 13 साल का अमल वादी की जद तक प्रतिवादी नं0 1लगा0 14 के पिताओ के अमल को डिलिट कर कलमजन कर हजफ कराये जाने के आदेश पारित किया जाये ।

2– दीगर दादरसी जो बानजदीक अदालत श्रीमान उचित समझे वादी को अता फरमाई जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । प्रतिवादीगण नं0 1,लगा0 5, 7, 9 10, की ओर से बालकृ   ण वकील ने वकालतनाम पेश किया तथा 6,11,12,13 की ओर से सुनिल यादव वकील ने वकालत नामा पेश किया। प्रतिवादी नं0 8 व 14 की ओर से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण उपस्थित होने पर भी जवाब दावा पेश नही किया। प्रतिवादीगण का जवाब बंद किया गया। तथा वादी ने साक्ष्य हेतु शपथ पत्र पीडब्लू–1 स्वयं का, तथा पीडब्लू–2 रोहताश का पेश किया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श –1 जमाबंदी संवत 2070–75, प्रदर्श –2 आदशिका 24.2.11, प्रदर्श –3 राजीनामा सुन्दरसिह बनाम गोमाबाई दिनांक 24.2.2011, प्रदर्श –4 पर्चा डिक्री दिनांक 24.2.11 न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश किशनगढबास पेश किये । प्रतिवादी ने कोई साक्ष्य सबूत पेश नही की गई। प्रतिवादीगण द्वारा वकालतनामा पेश करने पर कोई हाजिर नही आये इसलिये समस्त प्रतिवादीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये बताया कि आराजी ख0 नं0 260 रकबा 0.5000 हे0 सालिम यानि 2–00 बीघा, 259 रकबा 0.5100हे0 यानि 2–00 बीघा वाके ग्राम कांकरा तहसील किशनगढबास जिला अलवर में स्थित है। जिसमें ख0 नं0 260 रकबा 2–00बीघा एवं ख0 नं0 259 रकबा 2–00 बीघा में से 1/2 भाग यानि 1–00 एक बीघा स्थित ग्राम कांकरा तहसील किशनगढबास के राजस्व रिकार्ड में जमाबदी से बकाश्त उपकृषक साल 13 का अमल वादी

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

की जद तक प्रतिवादी 1 लगा0 14 के पिताओ के अमल को कलमजन कर हजफ कराये जाने के आदेश पारित किया जावे।

वकील वादी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया पत्रावली में संलग्न हाल जमाबंदी सवत 2068–2071 में वादी 1/2 भाग का खातेदार दर्ज है लेकिन जिस पर उपकृषक तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। तथा पत्रावली में संलग्न राजीनामा में भी पक्षकारान का राजीनामा किया गया है। वकील प्रतिवादी जबाब दावा होने के पश्चात बहस पर उपस्थिति नही उनके विरूद्व मूल दावे मे एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई ।वादी ने आराजी जर्ये इकरारनामा 27.6.07 को गोमाबाई से खरीद किया था। लेकिन बेचान का इंतकाल का अमल नही होने के कारण श्रीमान न्यायालय अपर जिला एवं सैशन किशनगढबास के बरूये राजीनामा से दिनांक 24.2.11 जर्ये उपपंजीयक कार्यालय तहसीलदार किशनगढबास के द्वारा वादी के पक्ष बयनामा कराया तथा जिसका इंतकाल बय 741 दर्ज व मंजूर हुआ जिसकी प्रति वाद मे वादी द्वारा संलग्न की है। जिससे साबित होता है कि विवादित आराजी वादी की खरीदशुद्वा कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है । प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से कोइ संबध वो सरोकार नही है। अतः आराजी विवादित ख0न0 260 रकबा 2 बीघा व ख0न0 259 रकबा 2 बीघा मे से 1 बीघा पर जो अमल प्रतिवादीगण 1 लगा0 14 के पितागण का बतौर उपकृषक हो रहा है। उसे दुरूस्त किया जाना उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः आदेश है किः–

वाद वादी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिकी किया जाता है कि आराजी ख0न0 260 रकबा 50 हे0 यानि 2 बीघा व ख0न0 259 रकबा 5100 हे0 यानि 2 बीघा मे से 1/2 भाग यानि 1 –00 बीघा वाके ग्राम कांकरा तहसील किशनगढबास पर के राजस्व रिकार्ड हाल जमाबंदीयात मे जो अमल प्रतिवादीगण 1 लगा0 14 के पिताओ का बकाशत एवं उपकृषक साल 13 का हो रहा। उसे कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो । पर्चा डिकी जारी हो । खर्चा वादी स्वयं वहन करेगा। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो। निर्णय सुनाया गया।

(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

...यालय उपखण्ड अधिकारी किशनगबास जिला (अलवर)

दावा सं0 अध्याशितः— श्री ओमप्रकाश सहारण आर0ए0एस

334 / 2012

दायर दिनांक

26.6.12

निर्णय

20.4.22

उनवान

1. सुन्दर सिंह पुत्र श्री खुशीराम जाति गूर्जर उम्र करीब 37 साल निवासी कांकरा तहसील किशनगढबास जिला अलवर ।

:—वादी

बनाम

1. भवानी मृतक
1/1. मन्तरा बेवा
1/2. सुबेसिंह पुत्र
1/3. कृ ाणा पुत्र
1/4. राजेश पुत्र
1/5. संजय उर्फ हब्बु पुत्र भवानी जाति अहीर निवासी किशनगढबास जिला अलवर।
2. रघुवीर
3. मदन पि0 लक्ष्मीनारायण
4. रोहिताश
5. धनीराम पुत्रान जग्गू
6. घमण्डी
7. निहाल पुत्रान छुटटन
8. लालसिंह पुत्र सोहन
9. भगवान मृतक
9/1. शान्ति देवी बेवा
9/2. तुलाराम
9/3. शीशराम
9/4. दाताराम
9/5. रामपाल पि0 श्री भगवान
9/6. रामकंला
9/7. आमवति
9/8. रेशमी पुत्रीयान श्री भगवान जाति अहीर निवासी किशनगढबास
10. लहरी मृतक
10/1.सत्यवान पुत्र लहरी
10/2.कोमल पुत्री लहरी

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

10/3. पप्पी पुत्री लहरी
10/4. सुनीता पुत्री श्री लहरी जाति अहीर निवासी किशनगढबास
11. बनवारी
12. राजाराम
13. रामसिंह
14. कैलाश पि0 छोटेलाल जाति अहीर निवासी किशनगढबास
15. लैण्ड होल्डर, तहसीलदार, किशनगढबास

:–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 89 आर0टी0 एक्ट0

उपस्थितः– वकील श्री धीरसिह वादीगण की ओर से
प्रतिवादीगण की एक पक्षीय कार्यवाही

<u>पर्चा डिक्री</u>

वाद वादी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है कि आराजी ख0न0 260 रकबा 50 हे0 यानि 2 बीघा व ख0न0 259 रकबा 5100 हे0 यानि 2 बीघा मे से 1/2 भाग यानि 1 –00 बीघा वाके ग्राम कांकरा तहसील किशनगढबास पर के राजस्व रिकार्ड हाल जमाबंदीयात मे जो अमल प्रतिवादीगण 1 लगा0 14 के पिताओ का बकाशत एवं उपकृषक साल 13 का हो रहा। उसे कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो । खर्चा वादी स्वयं वहन करेगा। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो। निर्णय सुनाया गया।

(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)